राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, Fax: 2227602, Toll Free Help Line 15100)

Email : rj-slsa@nic.in website : www.rlsa.gov.in

क्रमांक – 14 दिनांक 22.2.2016

परिपत्र

विषय : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस, 2015 पर जारी योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.11.2015 को समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु निम्न योजनायें जारी की गई–

1. नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015

2. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Legal Services to the workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015

3. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Child Friendly legal services to Children and their Protection) Scheme, 2015

4. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015

5. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015

6. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015

7. नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

   NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015

उपरोक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजनाओं की प्रतियां सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई है कि वे इन सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में अपने स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही तुरन्त प्रारंभ करें। इसी प्रकार मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को भी सभी योजनाओं की प्रतियां भेजकर निवेदन किया गया कि वे सभी सरकारी विभागों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करें कि वे इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु विधिक सेवा संस्थाओं से सहयोग व समन्वय रखें और इन योजनाओं के तहत की जाने वाली कार्यवाही संपन्न करने में कोई कोर कसर नहीं रखें।

उपरोक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक समिति / इकाइयों के गठन की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

यह सभी योजनाऐं समाज के बड़े वर्ग से संबंधित है। इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। यह योजनाऐं सिर्फ कागजी बनकर नहीं रह जायें बल्कि धरातल पर इनको क्रियान्वयन हो और अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ मिले इस दृष्टि से माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी, कार्यकारी अध्यक्ष, रालसा के निर्देशानुसार आगे वर्णित योजना एवं उनकी पालना की सतत् समीक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य स्तर पर क्रियान्वयन

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर निम्न अधिकारीगण उनके नाम के आगे अंकित योजना के नोडल ऑफिसर होंगे–

1.	नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015	उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए.डी.आर.)
2.	नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015	उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए.डी.आर.)
3.	नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Child Friendly legal services to Children and their Protection) Scheme, 2015	उप सचिव द्वितीय
4.	नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015	उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए.डी.आर.)

5.	नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015	उप सचिव
6.	नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015	पूर्णकालिक सचिव, रा.उ. न्यायालय विधिक सेवा समिति
7.	नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015	पूर्णकालिक सचिव, रा.उ. न्यायालय विधिक सेवा समिति

उपरोक्त सभी नोडल अधिकारी रालसा के सदस्य सचिव के सामान्य निर्देशन में संबंधित योजना के अन्तर्गत रालसा/राज्य स्तर पर की जाने वाली तमाम कार्यवाही संपन्न करेगे। संबंधित सरकारी विभागों से समन्वय रखेंगे। उनके साथ समय-समय पर बैठक करेंगे। पूरे राज्य में किसी भी स्थान पर किसी भी विभाग के सहयोग में कमी की स्थिति आने पर उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। वे संबंधित योजना के धरातल पर क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा करेंगे। इस क्रम में प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का योजनावार रिकार्ड रखेंगे। प्रत्येक योजना के संबंध में आने वाली सूचनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगे। किसी योजना विशेष की पालना में ढिलाई या स्थानीय स्तर पर कोई कठिनाई सामने आने पर उसका निराकरण करेंगे। सभी जिलों से प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर सटीक नोट तैयार करेंगे जिसमें अच्छा कार्य करने वाले जिलों का भी उल्लेख होगा तो स्तरीय कार्य नहीं कर पाने वाले जिलों का विवरण भी शामिल होगा। साथ में स्थिति में सुधार के सुझाव भी सम्मिलित होंगे।

सदस्य सचिव द्वारा सभी सातों योजनाओं के जिले वार मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर योजनाओं की प्रगति से माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, रालसा को अवगत कराया जायेगा और उनके निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिला स्तर पर क्रियान्वयन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका स्तर पर संबंधित योजनाओं में गठित समितियों / इकाईयों द्वारा अपने उत्तरादायित्व का निर्वहन किया जायेगा। साथ ही संबंधित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के सामान्य निर्देशन एवं नियंत्रण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव उक्त समितियों/ इकाईयों के साथ सहयोग व समन्वय बनाये रखेंगे तथा पूरे जिले में प्रत्येक योजना का ठोस क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में इन सभी योजनाओं की यथार्थ पालना के प्रति उत्तरादायी होंगे। वे जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय पर प्रत्येक योजना में हुए कार्य की रिपोर्ट संकलित करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे जो अच्छा कार्य करेंगे

उनकी प्रशंसा करेगे तथा ढिलाई बरतने वालों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही सभी प्रकार की कठिनाईयों का निवारण करेंगे। अपने स्तर पर प्रत्येक योजना की मासिक रिपोर्ट तैयार करायेगे और रालसा को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर तीन टीम गठित करेंगे। प्रत्येक टीम में विधिक सेवाओं में रुचि रखने वाले उर्जावान एक पैनल अधिवक्ता एवं एक पैरा लीगल वोलेन्टीयर होंगे। इन्हें निम्न प्रकार योजनाओं की जिम्मेदारी दी जायेगी–

टीम प्रथम – 1. नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

2. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

3. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

टीम द्वितीय – 1. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

2. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

टीम तृतीय – 1. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

2. नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

उपरोक्त सभी टीम संबंधित योजनाओं के तहत गठित समिति / इकाईयों के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय रखेंगी। पूर्णकालिक सचिव के निर्देशन में जिला मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में प्रमुख स्थानों पर योजना के अनुरूप विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ साथ योजना के प्रत्येक बिन्दु पर नियमित रूप से ठोस कार्यवाई सुनिश्चित करेगी। आवश्यकता होने पर तालुका स्तर पर होने वाली गतिविधियों के संपादन में सहायता करेगी। प्रत्येक गतिविधि का निर्धारित रजिस्टर में रिकार्ड रखेंगी। उसका सत्यापन स्थानीय पंच/सरपंच/पार्षद/समकक्ष प्राधिकारी से करायेंगी।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की आबादी के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि टीम विशेष किस किस स्थान पर किस दिवस पर एवं कितने दिन के अन्तराल पर गतिविधि विशेष संपादित करेगी। इस तरह यह सुनिश्चित किया जायोग कि उनके क्षेत्र में किसी भी योजना का कोई भी लाभार्थी योजना से अपरिचित नहीं रहे और योजना के तहत देय लाभों से वंचित नहीं रहे।

प्रत्येक टीम के सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर नजर रखी जायेगी। जो भी सदस्य लापरवाही करते या काम में अरुचि दिखाये और प्रेरित करने पर भी सुधार नहीं लाये तो उसे टीम में नहीं रखा जायेगा। प्रत्येक टीम में प्रशिक्षित सदस्यों को रोटेशन से रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी योग्य प्रशिक्षित सदस्यगण को समान व पर्याप्त काम मिले और वे बढ़चढ़ कर काम करते रहें।

प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक सचिव अपने जिले की सभी तीनों टीमों के साथ यदा-कदा अपनी उपस्थिति में उनकी गतिविधियों का संचालन करेंगे ताकि उनके कार्यक्रमों में निखार आ सके, किसी प्रकार की कमी नहीं रहें और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता रहे। वे सभी टीमों के क्रियाकलाप की सतत् समीक्षा करेंगे। उनकी मासिक रिपोर्ट अपनी निगरानी में तैयार करायेंगे। प्रत्येक योजना में हुई प्रगति का विवरण संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे, उनसे प्रत्येक योजना पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे, उनके निर्देशानुसार कमियों में सुधार करेंगे तथा मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

तालुका स्तर पर क्रियान्वयान

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति से विचार विमर्श कर अपने जिले के सभी तालुका मुख्यालयों पर इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक टीम का गठन किया जायेगा जिसमें विधिक सेवाओं में रुचि रखने वाले ऊर्जावान एव पैनल अधिवक्ता एवं एक पैरा लीगल वोलेन्टीयर शामिल होंगे।

उपरोक्त टीम संबंधित योजनाओं के तहत गठित समिति/इकाईयों के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय रखेंगी। अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य निर्देशन में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के नियंत्रण में तालुका मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में प्रमुख स्थानों पर योजना के अनुरूप विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ साथ योजना के प्रत्येक बिन्दु पर नियमित रूप से ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक गतिविधि का निर्धारित रजिस्टर में रिकार्ड रखेंगी। उसका सत्यापन स्थानीय पंच/सरपंच/पार्षद/समकक्ष प्राधिकारी से करायेंगी।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की आबादी के अनुरूप तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि उनकी टीम किस किस स्थान पर किस दिवस पर एवं कितने दिन के अन्तराल पर गतिविधि विशेष संपादित करेगी। इस तरह यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र में किसी भी योजना का कोई भी लाभार्थी योजना से अपरिचित नहीं रहे और योजना के तहत देय लाभों से वंचित नहीं रहे।

टीम के सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर नजर रखी जायेगी जो भी सदस्य लापरवाही बरते या काम में अरुचि दिखाये और प्रेरित करने पर भी सुधार नहीं लाये तो उसे टीम में नहीं रखा जायेगा। टीम में प्रशिक्षित सदस्यों को रोटेशन से रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी योग्य प्रशिक्षित सदस्यगण को समान व पर्याप्त काम मिले और वे बढ़चढ़ कर काम करते रहे।

प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपने तालुका की टीम के साथ यदा कदा अपनी उपस्थिति में उनकी गतिविधियों का संचालन करेंगे ताकि उनके कार्यक्रमों में निखार आ सके, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता रहे। वे अपनी टीम के क्रियाकलाप की सतत् समीक्षा करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन में की गई कार्यवाही का मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर निर्धारित तिथि तक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे।

आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी तालुकाओं की गतिविधियों में स्वयं भाग लेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, कमियों को दुरुस्त करेंगे और तालुका की गतिविधियों को त्रुटि रहित बनायेंगे।

मानदेय एवं यात्रा व्यय का भुगतान

इन योजनाओं के अन्तर्गत गठित उपरोक्त सभी टीमों एवं समिति/इकाई सदस्य के रूप में कार्य करने वाले पैनल अधिवक्ता सदस्य को एक दिन के कार्य के लिए रु. 500/– एवं पैरा लीगल वोलेन्टीयर को एक दिन के कार्य के लिए रु 250/– मानदेय दिया जायेगा। टीम के सदस्यों द्वारा मुख्यालय से कार्यक्रम स्थल तक एक साथ कार से यात्रा करने पर छः रुपये प्रति किलोमीटर एवं मोटर साइकिल से यात्रा करने पर तीन रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा व्यय दिया जायेगा। बस या रेल से यात्रा करने पर साधारण श्रेणी का वास्तविक किराया अदा किया जायेगा। मानदेय एवं यात्रा व्यय का भुगतान उपरोक्तानुसार स्थानीय पंच/सरपंच/पार्षद/समकक्ष प्राधिकारी के सत्यापन के उपरान्त लेखा संबंधी सभी नियमों का कठोरता से पालन करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 4(सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बजट से किया जायेगा।

प्रशिक्षण

इन सभी नवीन योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपरोक्त टीमों तथा इन योजनाओं के तहत गठित समितियों / इकाईयों के सदस्यगण के रूप में शामिल करने के लिए पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वोलेन्टीयर्स को जिला स्तर पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम अवकाश के दिन आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण 20 मार्च 2016 के पूर्व आवश्यक रूप से सम्पन्न किया जायेगा।

प्रतिभागियों का चयन

जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय की प्रत्येक टीम में सदैव एक पैनल अधिवक्ता एवं एक पेरा लीगल वोलेन्टीयर की आवश्यकता रहेगी लेकिन किसी सदस्य के किसी भी कारण से उपस्थित नहीं हो पाने पर किसी, सदस्य का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नये प्रशिक्षित सदस्यगण की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अतः सभी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में सभी योजनाओं के तहत आवश्यकता पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वोलेन्टीयर्स का आकलन करेंगे और दुगुनी संख्या में उन्हें प्रशिक्षण देंगे ताकि प्रत्येक टीम में सदस्यों के रोटेशन के लिए एवं किसी सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में प्रशिक्षित सदस्य उपलब्ध कराया जा सके और किसी भी सूरत में योजना का क्रियान्वयन बाधित नहीं हो।

प्रशिक्षण की व्यवस्था

जिला मुख्यालय पर प्रतिभागियों की संख्या के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु उचित भवन का चयन किया जायेगा। न्यायालय परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर अन्य राजकीय भवन में प्रशिक्षण दिया जायेगा। अन्यथा मितव्ययता बरतते हुए प्राईवेट भवन की व्यवस्था की जायेगी।

प्रशिक्षण के दौरान चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लन्च की व्यवस्था नियमानुसार की जायेगी।

प्रतिभागियों को फोल्डर में नोट बुक , पेन व स्कीम पुस्तिका दी जायेगी।

प्रशिक्षक

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षक के रूप में ऐसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण एवं सुयोग्य अधिवक्तागण

का चयन किया जायेगा जिनकी विधिक सेवा कार्यों में रुचि और अनुभव हो, अच्छी सम्प्रेषण क्षमता हो तथा विषय वस्तु का पूरा ज्ञान हो।

09.00 am	नाश्ता एवं रजिस्ट्रेशन	
09.30 - 10.00 am	कार्यक्रम का परिचय एवं विधिक सेवा संस्थाओं के दायित्व	
नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015		
10.00 - 10.30 am	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
10.30 - 10.50 am	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015		
10.50 - 11.20 am	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
11.20 - 11.40 am	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Child Friendly legal services to Children and their Protection) Scheme, 2015		
11.40 am - 12.10 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
12.10 - 12.30 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015		
12.30 - 01.00 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
01.00 - 01.20 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
01.20 - 02.00 pm	LUNCH BREAK	
नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015		
02.00 - 02.30 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
02.30 - 02.50 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	

नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015		
02.50 - 3.20 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
03.20 - 03.40 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
03.40 - 04.00 pm	TEA BREAK	
नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015		
04.00 - 04.30 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ क्रियान्वयन	
04.30 - 04.50 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
04.50 - 05.00 pm	समापन उद्‌बोधन	

प्रशिक्षण का व्यय

एक दिन के प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागी पैनल अधिवक्ता को रु. 500/- एवं पैरा लीगल वोलेन्टीयर को रु 250/- मानदेय दिया जायेगा। तालुका मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक आने वाले प्रतिभागियों को बस या रेल का साधारण किराया देय होगा। चाय नाश्ता, वर्किंग लंच एवं प्रशिक्षण में आवश्यक तमाम व्यय पूरी मितव्ययता के साथ लेखा नियमों की पूर्ण पालना करते हुए धारा 4(सी) के बजट से किया जायेगा।

प्रशिक्षण की सूचना

प्रशिक्षण की सूचना निम्न प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी:-

प्रशिक्षण की दिनांक	प्रतिभागी पैनल अधिवक्तागण की संख्या	प्रतिभागी पैरा लीगल वोलेन्टीयर्स की संख्या	प्रशिक्षण का कुल व्यय

रिफ्रेशर कोर्स

सभी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिये जिला स्तर पर छह: माह पश्चात् उपरोक्त सभी प्रतिभागियों के लिए उक्त प्रशिक्षण योजना के अनुरुप एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जायेगा जिसमें फील्ड में काम करने वाले सदस्यगण को प्रत्येक योजना के संबंध में अपने अनुभव शेयर करने का अवसर दिया जायेगा और

उनके अनुरूप व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किये जायेंगे। रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने की सूचना उपरोक्त प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजी जायेगी।

योजनाओं के क्रियान्वयन की मासिक रिपोर्ट

तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपने स्तर पर समीक्षा व सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन की मासिक रिपोर्ट आगामी माह की पांच तारीख तक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे जिले की प्रत्येक योजना की रिपोर्ट संकलित व समेकित करेंगे तथा अपने स्तर पर समीक्षा व सत्यापन के उपरान्त आगामी माह की दस तारीख तक समेकित रिपोर्ट निम्न प्रपत्र में इस कार्यलय को प्रेषित करेंगे–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम.....			
स्कीम का नाम			माह .....
विधिक जागरुकता शिविर/ कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थी / प्रतिभागियों की संख्या	विधिक जागरूकता के अलावा स्कीम के अनुरुप की गई अन्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	लाभार्थियों की संख्या/ गतिविधियों के परिणाम का विवरण

कृपया पीड़ित मानवता की सेवा हेतु बनाई गई उपरोक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कोर कसर नहीं रखें। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो इस कार्यालय को अवश्य अवगत करायें।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

क्रमांक : 17059–17129 दिनांक : 23.2.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र में परिपत्र के अनुरूप कार्यवाही करावें तथा परिपत्र की प्रति सभी तालुका विधिक सेवा समितियों को प्रेषित करावें।
4. श्रीमान् कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(87)/2016/278-84 जयपुर, दिनांक : 28-3-16

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय :- नाल्सा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मानसिक रूप से बीमार लोगों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि योजना की पालना में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप सभी राजकीय एवं निजी मनोचिकित्सा अस्पतालों, भवनों व सुविधा केन्द्रों में आगंतुक बोर्ड का गठन कराया जाये। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से कारागृहों का निरीक्षण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/ परामर्शदाताओं का दल गठित कराया जाये। साथ ही पुलिस के स्तर पर भी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाये। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाया रखा जाये।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(88)/2016/ जयपुर दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय : नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। इस योजना के अन्तर्गत बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों एवं योजनओं का डाटाबेस तैयार किया जाना है। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए बनायी गयी केन्द्रीय एंव राज्य परियोजनाओं, नीतियों, विनियमन, एस.ओ.पी. पुलिस निर्देशिका, नियम, घोषणाएं, टिप्पणियां एवं रिपोर्ट आदि सीधे ही सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित करावें। साथ ही इनमें किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन होने पर प्राधिकरण को सूचित किया जायें।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(86)/2016/ जयपुर दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय : नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। इस योजना के अन्तर्गत नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन व तस्करी की रोकथाम, नशाखोरी की आदत को रोकने, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास जैसे विषयों पर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाना है। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा, राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों को नामित करते हुए विशेष इकाईयों का गठन अविलम्ब कराया जाये। जिला स्तर/विभाग स्तर पर तैयार की गयी नीति, योजना, विनियम, दिशा-निर्देश, प्रतिवेदन आदि अभिलेख की प्रतियां सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित कराया जाये।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(90)/2016/ जयपुर दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय : नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत श्रमिक कल्याण के लिए उपकर के माप (cess) रूप में वसूल की गयी राशि को श्रमिकों के कल्याण में खर्च करने, अन्य किसी अनाधिकृत काम में नहीं लेने तथा बिना खर्च किये बैंकों में जमा नहीं रखने संबंधी आदेश/दिशा-निर्देश जारी कराया जाये। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अन्तर्गत श्रमिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने बाबत् आदेश जारी करें तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन भी कराया जाये।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(91)/2016/ जयपुर दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय : नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के साथ-साथ उन्हें विभिन्न विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग द्वारा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभाग अपने समस्त दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करें। साथ ही विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय रखते हुए उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(85)/2016/ जयपुर दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय : नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यौन कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण एवं महिला तस्करी की पीड़ितों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण इकाईयों का गठन किया जाये। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाये रखा जाये।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरस(89)/2016/ जयपुर दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव.....

जिला कलक्टर.....

विषय : नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि राज्य में प्रचलित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार सूची मय संक्षिप्त विवरण, मय ब्रोशर, पेम्पलेट्स (यदि उपलब्ध हो) तैयार कर भिजवायी जाये। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से तैयार उपरोक्त सामग्री सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित करायी जाये। इस संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाये रखा जाये तथा योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं रखी जाये।

आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

❖ ❖ ❖